राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा (पीएसबी)
पुराना सचिवालय: दिल्ली-110054

सं. एफ.डी.ई.15(258)/ईडब्ल्यूएस/पीएसबी/2025-26/14-19 दिनांक:02/01/2025

परिपत्र

विषय: शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आगे के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.2024 के आदेश के अनुपालन में WPC संख्या 12177/2024 में शिवांगी द्वारा प्राकृतिक अभिभावक (नेचुरल गार्जियन) श्रीमती पूनम बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य शीर्षक से, जिसमें माननीय न्यायालय ने ई.डवल्यू.एस. (EWS) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए प्रस्तावित तंत्र को शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर लिया है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने ई.डवल्यू.एस (EWS) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए तंत्र को तुरंत एक उचित अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखने का निर्देश दिया है। तदनुसार, दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए तंत्र निम्नानुसार हैं;

1. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) में कहा गया है कि "दिल्ली के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल प्रवेश स्तर की कक्षा/कक्षाओं में उस कक्षा की क्षमता के कम से कम 25% की सीमा तक पड़ोस के कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को दाखिला देने और इसके पूरा होने तक मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं"।

2. शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के प्रावधानों के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूल को छोड़कर) के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2016-17 से ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की थी। सत्र 2018-19 से, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल भी इस ऑनलाइन प्रणाली में शामिल किए गए।

3. शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आगे के लिए दिल्ली सरकार के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नलिखित हैं:

(क) प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों की घोषित स्वीकृत क्षमता का डेटा माँगेगा जिसे उप शिक्षानिदेशक (DDE) जिले के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। स्कूलों/जिलों को घोषित क्षमता का अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करने के लिए 20 कार्य दिवस दिए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की स्वीकृत संख्या का डेटा संबंधित डीडीई जिलों से प्राप्त कर लिया गया है और संकलित किया गया है। इसे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर 20.12.2024 को अपलोड भी कर दिया गया है।

(ख) मौजूदा मानदंडों/नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार सीटों की रिक्ति माँगने के बाद 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पीएसबी, शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय वेवसाईट 'एडुडेल' (edudel) पर सीट की स्थिति अपलोड की जाएगी।

(ग) WPC संख्या 1092/21 और उससे जुड़े मामले में दिनांक 16.12.22 के रामेश्वर झा निर्णय के अनुसरण में जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि "यदि स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी छूट/माफी की आवश्यकता है, तो सबसे असाधारण और अप्रत्याशित परिस्थितियों में, योजना के अनुसार शिक्षा निदेशालय से ऐसा अनुरोध करके इसका लाभ उठाया जा सकता है"। इस प्रकार, शिक्षा निदेशालय निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल की घोषित सीटों के प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल से प्रतिनिधित्व माँगेगा। निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.12.2024 थी।

(घ) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए, शिक्षा निदेशालय निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के प्रतिनिधित्व की जाँच करने और सक्षम प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों की सिफारिश करने के लिए उप शिक्षानिदेशक जिलों की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समितियों का गठन करेगा। शिक्षा निदेशालय प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर निष्पक्ष, पारदर्शी और एकसमान तरीके से प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेगा। स्कूल को उनके पंजीकृत ईमेल और पंजीकृत डाक के माध्यम से स्कूल द्वारा दायर प्रतिनिधित्व पर निर्णय की सूचना दी जाएगी।

(ङ) ऊपर निर्धारित तरीके से सीटों को अंतिम रूप देने के बाद, निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों की अंतिम घोषित सीटें शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल में ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सार्वजनिक परिपत्र के माध्यम से आमंत्रित किए जाएँगे। परिपत्र में ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड/दस्तावेजों के बारे में सभी आवश्यक विवरण होंगे। इस परिपत्र में लॉटरी की तारीख और उसके बाद प्रवेश का कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एसओपी को सभी हितधारकों द्वारा अनुपालन के लिए इस परिपत्र के साथ साझा किया जाएगा। आवेदक को किसी भी आवश्यक सहायता के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले के क्षेत्रीय कार्यालय में एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा।

(च) शिक्षा विभाग ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) प्रवेश के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ का आयोजन करेगा और सफल उम्मीदवारों को एसएमएस/ईमेल/टेलीफोन कॉल के माध्यम से निर्धारित तिथि और समय के साथ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय आने की सूचना दी जाएगी।

(छ) ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जाँच, जो अब तक निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल स्तर पर की जा रही थी, अब से प्रत्येक उपनिदेशक शिक्षा जिले के अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए उप शिक्षानिदेशक जोन और अधिकारियों को मिलाकर 29 क्षेत्रीय टीमों का गठन किया जाएगा, जो संबंधित जिला उप शिक्षानिदेशक (कुल 15 जिले) को रिपोर्ट करेंगे। इन टीमों को प्रासंगिक

प्रावधानों के संबंध में आरटीई अधिनियम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बारे में संवेदनशील बनाया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्रीय टीम का गठन इस प्रकार है:

a. संबंधित जोन के उपनिदेशक शिक्षा (DDE- Zone),

b. संबंधित जोन के किसी भी सरकारी स्कूल के दो प्रिंसिपल

c. संबंधित जोन के अनुभाग अधिकारी

d. जोन के दो मंत्रालयिक कर्मचारी

e. जोन के दो डाटा एंट्री ऑपरेटर

(ज) शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षानिदेशक जिलों के अंतर्गत 29 जोनल टीमें कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के 10 कार्य दिवसों के भीतर सभी सफल उम्मीदवारों के सभी दस्तावेजों की जाँच करेंगी। इसके लिए जिला कार्यालयों में एक समर्पित सहायता केंद्र (हेल्पडेस्क), सभी दस्तावेजों का एकल खिड़की प्रदर्शन स्थापित किया जाएगा, जहाँ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएँगे।

(झ) शिक्षा विभाग उन आवंटित उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करेगा जिनके दस्तावेज ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत संबंधित आवंटित निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए सही पाए जाते हैं।

(ञ) इसके अलावा, यदि आवंटित उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों में कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उम्मीदवार को कमी ज्ञापन जारी किया जाएगा और उन्हें ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत प्रवेश के वास्तविक अधिकार का दावा करने के लिए वैध/अद्यतित दस्तावेज जमा करने के लिए 15 कार्य दिवस दिए जाएँगे।

(ट) वे उम्मीदवार जो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पहले 10 कार्य दिवसों के दौरान रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त 5 कार्य दिवस दिए जाएँगे, इस संबंध में आगे एक सार्वजनिक परिपत्र भी जारी किया जाएगा। उनसे एसएमएस/पंजीकृत ईमेल/टेलीफोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। यदि दस्तावेजों की जाँच के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो ऐसे उम्मीदवारों को ई.डवल्यू.एस./डी.जी./सी.डवल्यू.एस.एन. (EWS/DG/CWSN) श्रेणी के तहत प्रवेश के वास्तविक अधिकार का दावा करने के लिए 10 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर वैध/अद्यतन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कमी ज्ञापन जारी किया जाएगा।

(ठ) उप शिक्षानिदेशक (DDE) जोन द्वारा तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा, जो उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद डीओई द्वारा आवंटित ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों के प्रवेश पर क्षेत्रीय टीमों की सिफारिश पर आधारित होगा। यदि, माता-पिता क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो माता-पिता आदेश की प्राप्ति के 5 कार्य दिवसों के भीतर डीएएमसी को अपील दायर कर सकते हैं। डीएएमसी ऐसी अपील प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के भीतर जाँच करेगा और अंतिम आदेश पारित करेगा।

(ड) क्षेत्रीय टीम/डीएएमसी द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश, जैसा लागू हो, अनुशंसित उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल स्कूल में प्रवेश के समय उम्मीदवार से कोई अन्य दस्तावेज नहीं माँगेगा।

उम्मीदवार को क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई जॉच के अलावा किसी और जॉच के अधीन नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्कूल इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ आरटीई अधिनियम 2009 और डीएसईएआर (DSEAR) अधिनियम, 1973 के मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार उचित समझे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अनुशंसित/अस्वीकृत/गैर-रिपोर्ट की गई अंतिम सूची सभी हितधारकों की जानकारी के लिए एडुडेल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(ढ) कम्प्यूटरीकृत ड्रा के बाद अस्वीकृत और गैर-रिपोर्ट किए गए मामलों के कारण खाली रहने वाली सीटों पर दूसरे कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लिए विचार किया जाएगा। आगे के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। यदि किसी तीसरे कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के लिए कोई लॉटरी निकाली जानी है, तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(ण) सभी आगामी कम्प्यूटरीकृत लॉटरी में भी यही समय-सीमा और प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(त) **यह भी सूचित किया जाता है कि दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा को अधिसूचना संख्या एफ.15(1615)/पीएसबी/2023/ईडब्ल्यूएस/अधिसूचना/7134-7147 दिनांक 23/12/2024 के तहत पांच लाख से कम कर दिया गया है।**

(थ)निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के संबंध में सभी सार्वजनिक परिपत्र द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) होंगे।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी ।

सु.बी

(सुशिता बीजू)
उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)

सं. एफ.डी.ई.15(258)/ईडब्ल्यूएस/पीएसबी/2025-26/14-19 दिनांक:02/01/2025

1. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
3. अपर निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
4. सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
5. सभी उप निदेशक शिक्षा (DDE) जिला, शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी।
6. एसओ (आईटी) शिक्षा विभाग, (सार्वजनिक परिपत्र), दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करें।

सु.बी

(सुशिता बीजू)
उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)